मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1975

(1975 का अधिनियम संख्यांक 8)

[27 दिसम्बर, 1975]

मिजोरम विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए कतिपय निरर्हताओं के हटाए जाने का उपबंध करने के लिए
अधिनियम

उद्देशिका---भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के उपबंधों के अनुसार यह उपबंध करना समीचीन है कि मिजोरम विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और उसके सदस्य होने या रहने के लिए इसमें इसके पश्चात् वर्णित पदों के धारक निरर्हित न होंगे ।

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :---

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1975 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मिजोरम पर है ।

(3) यह 10 मई, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना----इस तथ्य के आधार पर कि कोई व्यक्ति इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद धारण करता है, मिजोरम विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए निरर्ह न होगा या कभी भी निरर्ह हुआ न समझा जाएगा ।

अनुसूची

1. संघ या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा धारित कोई पद ।

2. भारत सरकार या मिजोरम सरकार के संसदीय सचिव का पद ।

3. संसद् या मिजोरम विधान सभा में मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद ।

4. किसी स्वायत्त जिला परिषद् में [1][मुख्य कार्यकारी सदस्य, कार्यकारी सदस्य, अध्यक्ष,] उपाध्यक्ष या सदस्य और किसी विद्यमान विधि या विनियम के अधीन मिजोरम में गठित किसी ग्राम परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य [1][का पद] ।

5. सरकारी प्लीडर या लोक अभियोजक का पद ।

6. सरकारी शैक्षणिक संस्था में अंशकालिक आचार्य, प्राध्यापक, अनुदेशक या अध्यापक का पद ।

7. सरकार को अंशकालिक सेवा प्रदान करने वाला चिकित्सा व्यवसायी ।

8. भारत सरकार या भारत के संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड या प्राधिकारी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य का पद ।

9. सरकार के अधीन, वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक वाला ऐसा कोई पद जो पूर्णकालिक नहीं है ।

10. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर में धारित कोई पद ।

11. सहायक वायु बल या वायु रक्षा रिजर्व में धारित कोई पद ।

---

[1] मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का मिजोरम अधिनियम सं0 5) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।